

फारम-VIII - क
कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत
भवन की योजना के अनुमोदन
उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 186 तिथि- 12.02.2020 के संदर्भ में

मेसर्स लक्ष्मी हाईट फॉर श्री संजय कुमार एवं मेसर्स गृह लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0, पता-सगुना, गैस गोदाम, बेली रोड, दानापुर, पटना।

- (क) आवासीय भवन के निर्माण
- (ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण
- (ग) भवन के पुनःनिर्माण
- (घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
- (ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के .1.86 प्लॉट नं0- 11, 12 एवं 7 / 1498, खाता नं0- 31, 32, 34 एवं 27/ 52, तौजी नं0-5516 / 5225, थाना नं0- 22 / 41, मौजा- जलालपुर / लखनी बीगहा, पता-थाना- दानापुर, जिला- पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0-.../3.1.../19-20 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल **Block-A Cumm.= 2298.60 m2, Resi.= 785.20 m2, Block B=16808.93 m2 & Basement (A+B)=85.37 m2 Total B/u Area (Block A+B)= 19978.10 m2 & EWS/LIG B/u Area Block-A=1554.30 m2 & Block- B=1554.30 m2 Total B/u=3108.60 m2** वर्ग मीटर एवं **B+G+10** की स्वीकृति दी जाती है:-

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से व्यवसायिक प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया **5843.57** वर्ग मीटर एवं **EWS/LIG 222.90** वर्ग मी0 का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि **18.30** मी0 चौड़ाई के अनुमोदित पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में **0.00** वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।



- (ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।
- (ञ) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
- (ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों / कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि / हेर-फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ-आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ठ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता / विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ड) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ढ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (ण) अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड स्लम रिहैबिलिटेशन एवं रिडेवलपमेन्ट हाउसिंग पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरान्त ही भवन का निर्माण करना होगा।
- (न) अन्य शर्त
- बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

[Signature]

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

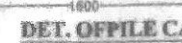
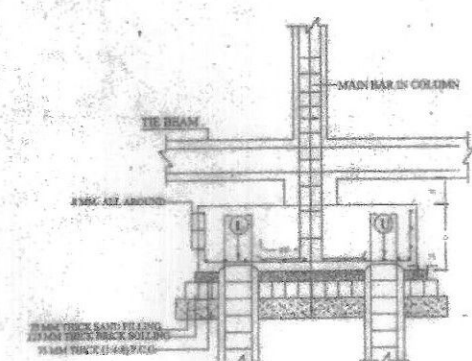
ज्ञापांक:- 131.../दिनांक:- ...15/03/2020

प्रतिलिपि:- मेसर्स लक्ष्मी हाईट फॉर श्री संजय कुमार एवं मेसर्स गृह लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0, पता-सगुना, गैस गोदाम, बेली रोड, दानापुर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

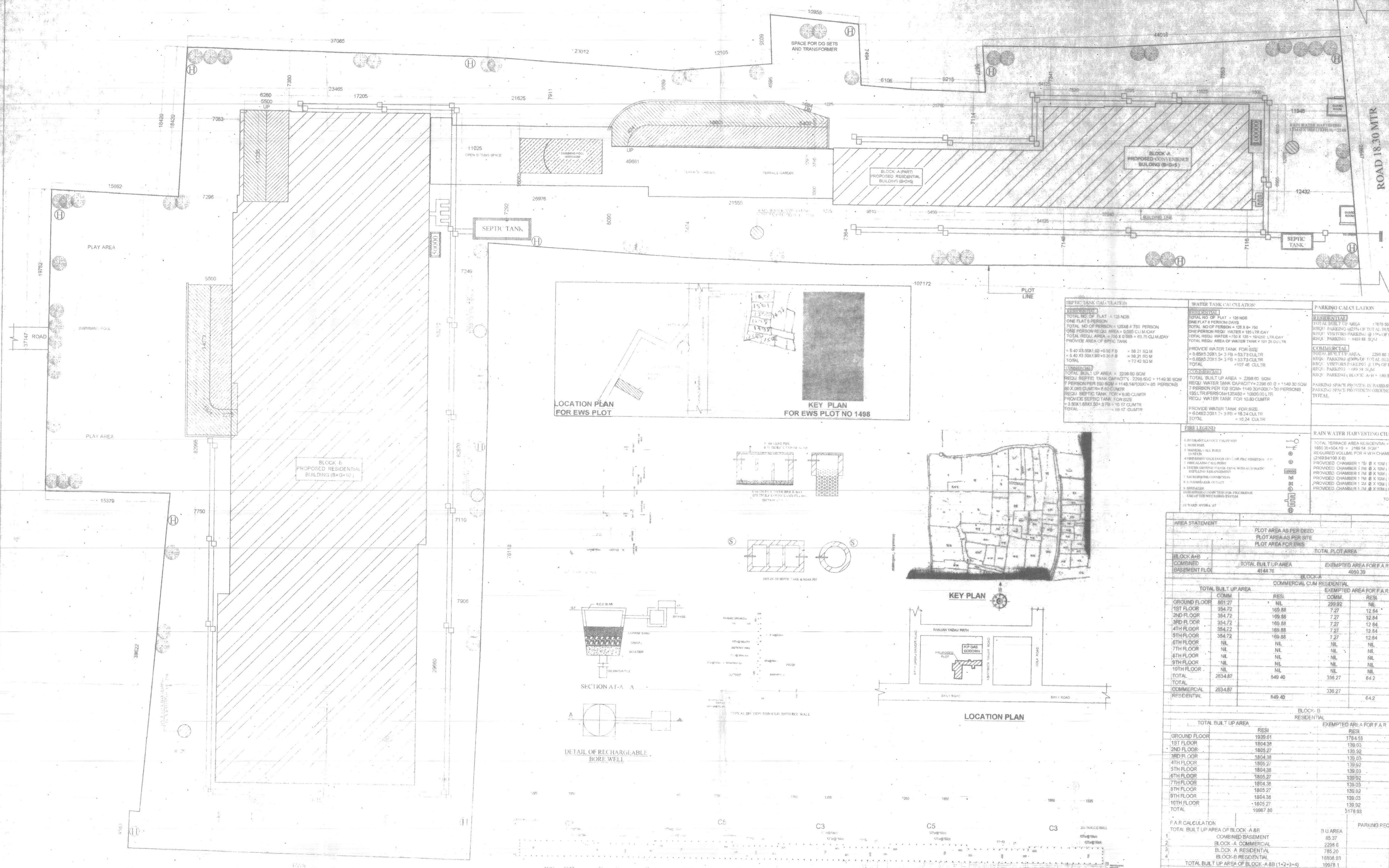
[Signature]

Managing Director
Grih Lakshmi Construction Pvt Ltd

[Signature]
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत
[Signature]



Managing Director
Lakshmi Construction Pvt. Ltd



S/L NO.	TYPE	WIDTH	SILL	HEIGHT
1.	D	1.06	0.00	2.59
2.	D1	0.91	0.00	2.13
3.	D2	0.76	0.00	2.13
4.	D3	0.76	0.00	2.13
5.	W	2.56	0.75	1.68
6.	W1	2.45	0.75	1.68
7.	W2	0.91	0.75	1.68
8.	W3	0.61	1.37	1.07
9.	RS	2.45	0.00	2.13

SPECIFICATION

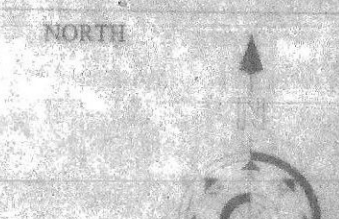
1. R.C CLASS UNDER REMMED PILE FOUNDATION AS PER DETAIL GIVEN IN THIS DRAWING.
2. 1ST CLASS BRICK WORK IN CEMENT MORTAR (1:5) IN SUPER STRUCTURE.
3. HEIGHT OF PLINTH DOOR AREA SHOWN IN SECTION.
4. 0.021 P.S. FLOORING OVER 75 MM DRY REMMED KHDA OVER FLAT BRICK SOLING OVER LOCAL SAND FILLING.
5. 0.065 TH D.P.C. ON P.L. ALL ROUND THE BUILDING.
6. 0.110 TH LIME CONCRETE OVER 0.100 TH R.C.G. SLAB.
7. 0.15 TH R.C.C. BAND AT DOORS & WINDOWS OPENINGS.
8. 0.12 CM CEMENT PLASTER ON BOTH SIDE OF WALL.
9. WHITE & COLOUR WASH AS PER CHOICE.

PLOT DETAILS :-

PROPOSED RESIDENTIAL CUM CONVENIENCE SHOPPING
"LAKSHMI HEIGHTS" FOR SANJAY KUMAR &
GRIH LAKSHMI CONSTRUCTION PVT LTD.
AT PLOT NO: 11,12 & 7, KHATA NO 31,32,34&27
MAUA: JALALPUR,TAUZI NO-5516,THANA NO. 22,
P.S.RUPASPUR, BAILEY ROAD,DANAPUR, PATNA.

PLOT DETAILS FOR EWS :-

PROPOSED EWS RESIDENTIAL BUILDING FOR
GRIH LAKSHMI CONSTRUCTION PVT LTD.
AT PLOT NO: 1498, KHATA NO-52,
TAUZI NO-5225, THANA NO: 41, MAUZA:
LAKHANI BIGHA, DANAPUR, PATNA



SCALE	DRG NO.
1:100	01/05

BK Sinha
Brajesh Kumar Sinha
Structural Engineer
Licence No. 11/STR-E/15/NPDN
NAGAR PARISHAD DANAPUR NIZAMAT
DANAPUR.

SIG. OF STRUCTURAL ENGINEER

6/5/2021

Managing Director
Grin Lakshmi Construction Pvt. Ltd.
SIG. OF OWNER

Shyam Prasad
Empanelment No. AR/21/1512 (Muz)
SIG. OF ARCHITECT

29.02.2020
A. E.

Nagar Parishad Dahapur Nizamal Building Plan No 131/19-20

Building Plan No. 13119-20

निम्नलिखित सार को सत्य मानकर पढ़ें : (अभिप्राय की अपेक्षा के आधार पर भवन मानविकी की स्वीकृति दी जाएगी)।

सरकारी या किसी दफ्तर के जमीन का अधिग्रहण नहीं करना होगा तथा यह सब एक ही छतरी के तहत होगा। उपरि 2014 के अनुसार अपनी जमीन छेड़ना होगा। भवन भू-कंपन की समस्या होगी तथा भवन से सरकारी जमीन तक जाने पर विकसित क्षेत्रों से जाकर निर्माण कार्य होगा।

[illegible]

२०/०२/२०२०
 J. E.
 Nizamath

अनिवार्य होगा।